संख्या:- 44/2021/842/12-5-2021/सा०-01/2019

प्रेषक,

डॉ० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

2- निदेशक, कृषि,
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5, लखनऊ: दिनांक: 27 दिसम्बर, 2021

विषय:- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के आवेदन पत्र के साथ लिए जाने वाले घोषणा पत्र में संशोधन।

महोदय/महोदया,

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना एक शत-प्रतिशत केन्द्रपोषित योजना है जिसका क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर रखते हुए राज्य सरकार द्वारा भी विभिन्न शासनादेश निर्गत किये गये हैं।

2- योजना के दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से प्राविधान है कि दिनांक 01.02.2019 के पश्चात विभिन्न कारणों से बने नये कृषकों में से उन्हीं पात्र कृषकों को ही योजना का लाभ मिलना है जो वरासत के आधार पर कृषक हुए हैं। अतः योजना के अन्तर्गत वर्तमान समय में भी ओपेन सोर्स के माध्यम से जो नवीन आनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्त हो रहे हैं। उनमें से अधिकांश लाभार्थी ऐसे हैं जो योजना प्रारम्भ होने के पश्चात वरासत के आधार पर कृषक बने हैं। अतः यह आवश्यक है कि इन परिस्थितियों में मृतक किसान (जिनके वरासत के आधार पर नये लाभार्थी आवेदन कर रहे हैं) की आगामी किश्तें बंद करते हुए उनका डाटा डिलीट कर दिया जाए।

3- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नये लाभार्थियों का सत्यापन करते समय निम्नलिखित 03 बिन्दुओं पर अनिवार्य रूप से आख्या ली जाए:-

(i) क्या आवेदक वरासत के आधार पर योजना आरम्भ होने के पश्चात कृषक बना है। (हां या नहीं)

(ii) अगर हां, तो क्या मृतक किसान (जिनकी वरासत से आवेदक भू-स्वामी बना है) पी०एम०किसान के लाभार्थी थे। (हां या नहीं)

(iii) अगर बिन्दु संख्या-2, का उत्तर हां है तो मृतक किसान का पी०एम०किसान आई०डी० तथा आधार संख्या का विवरण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपरोक्त बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी तथा उप कृषि निदेशक का यह दायित्व होगा कि वह नये पात्र लाभार्थियों को लाभ की स्वीकृति देने के साथ-साथ ऐसे मृतक किसान जो पूर्व से पी०एम०किसान के लाभार्थी रहे हैं, का stop payment कर उक्त की सूचना कृषि निदेशक को उपलब्ध कराएं जो इन्हें डेटा बेस से डिलीट कर दें जिससे उन्हें मिलने वाली किश्तें बंद हो जाएं। इस हेतु प्रमाण स्वरूप लाभार्थी के खतौनी की प्रतिलिपि भी संलग्न की जाए जिसमें मृतक किसान की वरासत दर्ज हुई है तथा नये लाभार्थियों का नाम दर्ज हुआ है।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए जिससे नये लाभार्थियों के चयन के साथ-साथ कृषकों का रिकार्ड भी अद्यावधिक होता रहे।

भवदीय
डॉ० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2- अपर सचिव, कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

आज्ञा से
डॉ० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।